

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14 अप्रैल, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 अप्रैल, 1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया]

[‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 29 अप्रैल, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 2 मई, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ]

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

- | | |
|---|---|
| 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा । | संक्षिप्त नाम |
| 2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा 1) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द “पांच वर्ष” के स्थान पर शब्द “छः वर्ष” रख दिये जायें । | उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 8 में संशोधन । |

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 12 अप्रैल, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT No. 26 OF 1972)

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila
Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads
Adhiniyam, 1961

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as
follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972. Short title.

2. In section 8 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, in the first proviso to sub-section (1), for the words "five years", the words "six years" shall be substituted. Amendment of Section 8 of U.P. Act XXXIII of 1961.

(*For Statement of Objects and Reasons, please see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary), dated April 12, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 14, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly, on April 25, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on April 29, 1972, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated May 2, 1972.)